2025/301

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2025 (बांसवाड़ा आर्डर)

श्रीमती भानूमती बेवा स्व. भरतलाल लोहार, निवासी बडोदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती सुभद्रा पत्नी मनोहरलाल राजपूत, निवासी नया पडारिया, बडोदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती आशा पत्नी हिम्मतसिंह, जाति राव, निवासी बडोदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. राजेश कुमार शुक्ला पुत्र द्वारका प्रसाद शुक्ला जाति ब्राह्मण निवासी बडोदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. विहित प्राधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी) बागीदौरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध
संपरिवर्तन आदेश उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा दिनांक 12.08.2014 प्रकरण
क्रमांक राजस्व/2014/1316–21

———::———

उपस्थित :– 1– श्री तसलीम अहमद अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेन्द्र पाटीदार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं 1 से 3

———::———

निर्णय **दिनांक 22.04.2026**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश क्रमांक राजस्व/2014/1316–21 दिनांक 12.08.2014 से ग्राम बाडोदिया की आराजी नम्बर 3697/1902 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 2196/3477 रकबा 0.06 हैक्टेयर एवं 2197/3489 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 0.38 हैक्टेयर अर्थात 3800 वर्ग मीटर के संपरिवर्तन का आदेश पारित किया, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 25.07.2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस किये गये, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर राजेन्द्र पाटीदार उपस्थित

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील विलंब से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संपरिवर्तन शर्तो की पालना नहीं करने पर व सुविधा क्षेत्र की भूमि में से भूखण्ड़ विक्रय करने व आगे भी उक्त भूमि के दुरूपयोग की संभावना की जानकारी होने पर दिनांक 18.03.2025 को नकले प्राप्त होने से उक्त संपरिवर्तन आदेश की जानकारी हुई। देरी कारण वास्तविक, सदभावनापूर्ण व न्यायोचित है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। हालांकि अपील करीब 11 वर्ष विलम्ब से पेश की किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी। अतः न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थी, फिर भी अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा बाबत् धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदनुसार अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। इसके अलावा हम यह भी पाते है कि अपीलान्ट स्वयं ने स्वीकार किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अपील नहीं की गई है, बल्कि आदेश के क्रियान्वयन की अपील की गई है, जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने से अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार में नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का संपरिवर्तित आदेश दिनांक 12.08.2014 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

22.4.26.

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर